निविदा फार्म

मूल्य रूपये 2000/—

कार्यालय जिला पंचायत, दमदमा, उज्जैन

(प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 दिनांक 15.12.2023 से 26.12.2023 तक)

कार्य क्र. 01 —स्टॉल एवं टेन्ट व्यवस्था कार्य

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, उज्जैन

विषयः— प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 हेतु स्टॉल एवं टेन्ट व्यवस्था कार्य संबंधी भाव प्रदाय विषयक।
सन्दर्भ :— आपकी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय की समस्त शर्तो को मान्य करते हुए स्टॉल एवं टेन्ट व्यवस्था हेतु मेरे भाव/दर स्वीकृत दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु निम्नानुसार हैः—

क्र	कार्य का विवरण/सामग्री का विवरण	दर/भाव (समस्त टेक्स सहित)	अवधि	राशि
01	दुकान 9X9 टीन की छत एवं टीन का बेक, दुकान निर्माण मय क्लाथ वालिंग, सीलिंग, फेसिया मय फ्रेश कपडे से, वाल फ्रेमिंग, प्लास्टिक कुर्सी 02 नग, टेबल मय कव्हर (अवधि दौरान् गन्दे होने पर बदलना होगा) 02 नग, दरी 01 नग, कनात 01 नग,स्टॉल का नाम एवं स्टॉल नम्बर थर्माकोल शीट सहित ।	प्रति स्टॉल	संपूर्ण मेला अवधि	
02	टीन की सुरक्षा दीवार 5 फूट उॅचाई तक 7 1/2 फूट उॅचाई तक	प्रति रनिंग फीट	संपूर्ण मेला अवधि	
03	पाईप पण्डाल	प्रति वर्ग फीट	संपूर्ण मेला अवधि	
04	डोम वाटर प्रुफ	प्रति स्के. फीट	संपूर्ण मेला अवधि	
05	रंगीन कपड़ा छत्री बनाना 1/2 मीटर चौड़ा	प्रति रनिंग मीटर	संपूर्ण मेला अवधि	
06	बिस्तर सेट (गादी,रजाई,तकिया विथ कव्हर चादर सहित)	प्रति सेट	संपूर्ण मेला अवधि	
07	फूटकर सामान			
	1. टेबल विथ झालर + टेबल क्लाथ	प्रति नग	प्रति दिवस	
	2. कुर्सी मोल्ड प्लास्टिक	प्रति नग	प्रति दिवस	
	3. कुर्सी मोल्ड प्लास्टिक विथ कव्हर	प्रति नग	प्रति दिवस	
	4. स्टील चेयर विथ कव्हर	प्रति नग	प्रति दिवस	
	5. कनात	प्रति नग	प्रति दिवस	
	6. दरी	प्रति नग	प्रति दिवस	
	7. मेटिंग	प्रति रनिंग मीटर	प्रति दिवस	
	8. चादर	प्रति नग	प्रति दिवस	
	9. अतिरिक्त कपडा लगाना	प्रति वर्ग मीटर	प्रति दिवस	
	10. तख्त (साईज 3 X 6) ओपन स्टॉल हेतु	प्रति नग	प्रति दिवस	
	11. बाल्टी (एल्युमिनियम/स्टील की)	प्रति नग	प्रति दिवस	
	12. ड्रम (पानी के लिये)	प्रति नग	प्रति दिवस	
	13. टी टेबल (लोहे की) विथ झालर + टेबल क्लाथ	प्रति नग	प्रति दिवस	
	14. पलंग (लोहे के 3 X 6)	प्रति नग	प्रति दिवस	
08	टीन गेट दो पल्लेवाला मय ताले के	प्रति नग	संपूर्ण मेला अवधि	
09	अग्नि शॉमक यंत्र 20 नग/ 03 फायर स्टेण्ड मय बाल्टी बालू रेत के	(निः शुल्क रहेगा)	संपूर्ण मेला अवधि	
10	पैदल पुल लकडी का मय मेटिंग के साईज 15 X 20	प्रति पुल	संपूर्ण मेला अवधि	
11	स्टेज ओपन कम्पलीट साईज 20 X 20	प्रति स्टेज	संपूर्ण मेला अवधि	
12	रेलिंग, रनिंग फीट	प्रति रनिंग फीट	संपूर्ण मेला अवधि	
13	अतिथि कक्ष 30 बाय 30 फीट प्लाय से प्लेटफार्म	प्रति कक्ष	संपूर्ण मेला अवधि	
14	कार्यालय कक्ष 20 बाय 30 फीट प्लाय	प्रति कक्ष	संपूर्ण मेला अवधि	
15	सोफा मय कवर के	अतिथि कक्ष	संपूर्ण मेला अवधि	
16	मेले हेतु गेट कम्पलीट	प्रति नग	संपूर्ण मेला अवधि	
17	फायर ब्रिगेड़ शेड़	प्रति शेड़	संपूर्ण मेला अवधि	
18	पेड़ल स्टेन्ड व सिलिग पंखें	प्रति नग	संपूर्ण मेला अवधि	
19	सिलिंग पंखे	प्रति नग	संपूर्ण मेला अवधि	

संलग्नः— 01. धरोहर राशि जमा की छायाप्रति।
02. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (नगर निगम द्वारा)
03. दर प्रत्रक में दर भर कर स्केन कापी का पी.डी.एफ बनाकर ऑनलाई वित्तीय लिफाफे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
04. शर्ते

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम व पताः—

कार्य क्रमांक 01–स्टाल एवं टेंट व्यवस्था कार्य, कार्यालयीन शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

01. निविदा अंर्तगत स्वीकृत दरे स्वीकृत दिनांक से 01 वर्ष तक एवं आगामी दरे स्वीकृत होने तक प्रभावशील रहेगी। कार्यालय 01 वर्ष की अवधि में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में की जाने वाली व्यवस्था संबंधित सफल निविदाकार को करना होगी। उक्त दर एक वर्ष एवं आगामी दरे स्वीकृत होने तक के लिये प्रभावशील होगी। आवश्यकता अनुसार कार्य आदेश दिया जाने अथवा नही दिये जाने संबंधी अधिकार अद्योहस्ताक्षर के पास सुरक्षित होगा। कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर की अवधि के दौरान कोई भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधि. के निर्देशानुसार निविदाए आमंत्रित की जाती है तो उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आपकी स्वीकृत दरे मान्य नही की जावेगी।
02. कार्यक्रम स्थल तक सामग्री लाने एवं लेजाने का भाड़ा सफल निविदाकार को स्वयं को वहन करना होगा। पृथक से भाड़ा देय नही होगा।
03. संबंधित सफल निविदाकर्ता को कार्य समाप्ति उपरान्त देयको का भुगतान शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा काटते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
04. इच्छुक निविदाकर्ता को धरोवर राशि रूपये 50,000 (ईएमडी) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा। फर्म के पंजयीन, पेनकार्ड, टिन/GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
05. सर्शत, कटी–फटी अथवा ओव्हर राईटिंग लिखाई की निविदा मान्य नही की जावेगी। निविदाकार कार्यस्थल का निरीक्षण निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्वकर लेवे।
06. निविदा कार्य/फर्म का संबंधित कार्य का विगत 03 वर्षो में वार्षिक औसत टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख होना अनिवार्य है इस हेतु सी.ए का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
07. यदि किसी निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में विभाग द्वारा जो विभाग के हित में होगा उसे मान्य किया जावेगा।
08. निविदाकार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट (एफडीआर) जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा हो,मान्य की जावेगी।
09. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
10. कार्य अवधि के दौरान किसी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्वि देय नही होगी।
11. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।
12. कार्य करने के दौरान किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का ना होकर संबंधित निविदाकार का होगा।
13. निविदाकार/फर्म के लिए केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
14. टेन्ट सामग्री का किसी भी प्रकार का नुकसान (प्राकृतिक आपदा, जलने, खराब होने, टूटने, चोरी होने) का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा। इस हेतु निविदाकार को अपनी सामग्री का स्वंय के व्यय से बीमा कराया जाना होगा।
15. कार्यालय द्वारा कार्य हेंतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
16. निविदा स्वीकृती के तत्काल पश्चात् दो दिवस मे समिति द्वारा निर्धारित शर्तो अनुसार अनुबंध का निष्पादन कर निविदाकर्ता को जिला पंचायत, में प्रस्तुत करना होगा।
17. स्टाल एवं टेंट व्यवस्था अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सामग्री आवश्यकता होने की दशा मे तत्काल उपलब्ध कराना होगी। विलंब की स्थिति मे होने वाले नुकसान एवं प्रदाय सेवा/सामग्री मे कमी/गुणवत्ता मे कमी की स्थिति में आपकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. स्टाल एवं टेंट व्यवस्था अंतर्गत उपयोग की जाने वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में मेला स्थल पर रखना होगी ताकि टूटने, कटने–फटने, खराब होने पर तुरंत बदलना होगी ।
19. स्टाल एवं टेंट व्यवस्था आकर्षक एवं सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री उच्च क्वालिटी की होना चाहिये।
20. कार्य सम्पादन एवं रखरखाव मे प्रयुक्त श्रमिको की किसी दुर्घटना होने व श्रम कानून के पालन की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
21. निविदा फार्म मे उल्लैखित सामग्री के अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होने पर निर्देषानुसार प्रदाय सामग्री का तत्काल सत्यापन कार्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् ही भुगतान होगा।
22. समिति द्वारा सुझाये गये स्थान पर एक आपात स्थिति द्वार बनाना होगा जिसकी जानकारी कम से कम 12 स्थानो पर 3X2 साइज के प्लाई बोर्ड/बेनर मे ऐरो निशान द्वारा प्रदर्शित करना होगी।
23. निर्देशानुसार विभिन्न स्थानो पर अग्निशामक विथ स्टेण्ड लगाना होगें। साथ ही इनकी सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का रहेगा। अग्निशामक के गूम होने/क्षति आदि के लिये निविदाकर्ता स्वयं जवाबदार रहेगे।
24. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षैत्र उज्जैन रहेगा।
25. स्वीकृत निविदाकर्ता द्वारा राशि रूपये 50,000 सुरक्षा निधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन के नाम एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।
26. कार्यादेश अनुसार मेला आरंभ के पूर्व दिनांक 12/12/2023 को दोप. 01.00 बजे तक कार्य पूर्ण करना होगा।
27. यदि दुकानदार द्वारा अतिरिक्त सामग्री की माँग की जाती है तो उक्त व्यापारी को निविदा स्वीकृत दर पर ही प्रदान की जाना होगी।
28. समिति के सत्यापन उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
29. सामग्रियो की दरे जीएसटी सहित प्रस्तुत करना होगी। जीएसटी पृथक से देय नही होगा।
30. कोई भी सामग्री बिना मेला प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति के प्रदाय न कि जावें और इस संबंध में अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जावें।
31. किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी जानकारी https://mptenders.gov.in/nicgep/app इस पोर्टल के माध्यम से दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उज्जैन

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 31 तक मुझे मान्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :–

नाम एवं पता :–

मोबाईल नम्बर :–